

झारखंड सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

विषय: झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 में GST के अनुरूप संशोधन के संबंध में।

झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 विभागीय पत्रांक 1958, दिनांक 16.06.2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया है, झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के कंडिका-32.5 में NET-VAT Incentive दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के तहत समेकित परियोजना निवेश अनुदान एवं नेट-वैट अनुदान के दावे आवेदित हैं, जिन्हें भुगतान किया जाना है तथा भविष्य में नेट-वैट से संबंधित आवेदन प्राप्त होने की सम्भावना है।

वर्तमान में NET-VAT के स्थान पर Goods and Services Tax Act (GST) लागू हो गया है एवं Goods and Services Tax (GST) Act के लागू होने के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में GST के अनुरूप संशोधन करते हुए ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के पत्रांक D.O.F. No. 34012/5/2018-ST-II DOR दिनांक 19.02.2018 के द्वारा भी राज्य में प्रवृत्त नीतियों में GST के अनुरूप संशोधन हेतु भी निदेशित किया गया है।

अतएव दिनांक 01.03.2019 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति दिए जाने के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के कंडिका 32.5 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

1. कंडिका-32.5 के उपकंडिका- a,b,c,d,e,,i,j,k,l,m, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

(a) MSME shall be eligible for reimbursement of 60% of NET VAT paid per annum, up to a maximum of 100% of total fixed capital investment made, for different duration depending on the location of the units as mentioned below के स्थान पर MSME will be given incentive of 60% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 100% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as mentioned below प्रतिस्थापित किया जाता है।

(b) Large and Mega Industries shall be eligible for reimbursement of 50% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Large and Mega industries will be given incentive of 50% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 75% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता है।

(c) Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and Village Industry products shall be eligible for reimbursement of 75% of the NET VAT paid per annum up to a maximum of 100% of the total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Handloom, Sericulture, Handicraft, Khadi and Village industry product will be given incentive of 75% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 100% of total fixed capital investment

made for different duration depending on location of the unit shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(d)(i) Apparel, Textile, Food Processing Automobiles, IT/ITES and Bio-Tech units shall be eligible for reimbursement of 75% of NET VAT paid per annum up to a maximum of 75% of the total fixed capital investment for different duration depending on the location of the unit as shown in the above table के स्थान पर Apparel, Textile, Food Processing, Automobile, IT/ITes and Bio-Tech units will be given incentive of 75% reimbursement of State GST paid on intra-state supply subject to the tax actual realization in the state government treasury with a ceiling of 75% of total fixed capital investment made for different duration depending on location of the unit as shown in the above table प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(ii) उपकंडिका-d(ii) में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(e) उपकंडिका-e में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(i) उपकंडिका-i में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(j) उपकंडिका-j में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(k) उपकंडिका-k में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(l) उपकंडिका-l में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं।

(m) उपकंडिका-m में अंकित VAT के स्थान पर SGST प्रतिस्थापित किया जाता हैं। एवं including CST को विलोपित किया जाता है।

2. उप कंडिका-(n) के रूप में Explanation:-Actual realization in the state treasury means the goods supplied by the industrial unit and finally consumed within the state and SGST paid there of realized state treasury. If any ITC claimed on the goods supplied by the unit or by any subsequent taxable person in any manner whatsoever, e.g. ITC on inter-state supply then SGST paid on such goods shall not be eligible for reimbursement सम्मिलित किया जाता है।

3. झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 के प्रभावी रहने की तिथि (01.04.2011 से 31.03.2016) के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली इकाइयों पर उक्त संशोधन लागू होंगे।

आदेश: एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(के0 रवि कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक _____/रांची, दिनांक

09/उ0नि0(विविधि) औ0नि0-23/2007

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि ई-गजट में यथाशीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 515/रांची, दिनांक 08/3/2019

09/उ0नि0(विविधि) औ0नि0-23/2007

प्रतिलिपि: माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबन्ध निदेशक, जियाडा/निदेशक, हस्तकरधा, रेशम एवं हस्तशिल्प/प्रबन्ध निदेशक, झारक्राफ्ट/उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों/सभी जिला उद्योग केन्द्रों/अपर उद्योग निदेशक/सभी उप उद्योग निदेशक/सभी अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के सचिव